

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 151 / 2021

दिनांक : 17.09.2021

श्रीमती भानूप्रिया सेहरा (RJ1200), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली को दिनांक 20.09.2021 से 02.11.2021 तक 44 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.09.2021 एवं 03.11.2021 से 07.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री विभा आर्य (RJ1064), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली को श्रीमती भानूप्रिया सेहरा के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. सुश्री विभा आर्य (RJ1064), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालयों के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से.

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/65/2017/5783

दिनांक : 17.09.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 5241 दिनांक 07.09.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती भानूप्रिया सेहरा (RJ1200), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
5. सुश्री विभा आर्य (RJ1064), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार